

जल जीवन मिशन जनपद—
गाम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल संचयनी उप सभी महिलाओं की पहचान करना जो गाम संचयन की "जलन संचयना" को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (गाम पंचायत और/या इसके उप-समिति, अर्थात डी.इन्फ्र.एस.सी./पानी समिति/पब्लिक सप्लाय आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.इन्फ्र.एस.एस. की परसूत लिखे जाने से पहले गाम सभा में अनुमोदित की जानी है। आर्.एस.ए. द्वारा अनुमोदित संशोधन प्रदान की जानी है।)

1. संवत् की तारीख— 11/2/23

गाम सभा में अनुमोदित की तारीख— 14/2/23
डी.इन्फ्र.एस.एस. की परसूत लिखे जाने की तारीख—

2. गाम का नाम एवं जनगणना कोड—

गाम पंचायत का नाम— शिवदाग जिला का नाम— राजश संवत् का नाम— 1890
(यदि लागू हो तो, महिलाओं की संख्या और उनके नाम)

1. गाम पंचायत संकल्प

3. गाम संचयन की आकांक्षा (संख्या) महिला कुओं को और (संख्या) कुएँ पान/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घंटे नियमित गुणवत्ता वाले पल पी.सी.डी. जल क आपूर्ति जल तक

गामोप परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एक.एस.डी.सी. प्रदान करना

हम, गाम संचयन के नेता, अपनी अंतःगाम जल आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार, प्रदान, पुराल और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल विकास का समर्थन करेंगे और इसकी रक्षा करेंगे और उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे। हम अपने मददे जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मंठे पानी को बचावेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूरी लागत का $\%$ प्रदान और रख-रखाव लागत के परिभाषित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति के प्रचलन में योगदान किया जाएगा

*पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच.ई.सी./आर.इन्फ्र.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा

11. गाम पंचायत और या इसकी उप समिति व अर्थात डी.इन्फ्र.एस.सी./पानी समिति प्रयोग संसूच आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाम में जल आपूर्ति योजना की अंतिम कार्यवाही प्रदान प्रदान और रख-रखाव का नैतृत्व करेंगी

(गाम पंचायत और या इसकी उप समिति)— उप समिति

समिति को क्या कहा जाता है— गाम पंचायत एवं संरचना समिति

अवकाश का नाम— श्री/श्रीमती रंजना सिंह जिला— राजश/मिर्जा आर्यु— 45

क्र.सं.	सदस्य का नाम	जिला	आर्यु
1.	<u>श्याम सुदीप सिंह</u>	<u>राजश</u>	<u>48</u>
2.	<u>गोम देवी सिंह</u>	<u>राजश</u>	<u>45</u>
3.	<u>सुभाष कुमार</u>	<u>राजश</u>	<u>37</u>
4.	<u>सुभाष कुमार</u>	<u>राजश</u>	<u>45</u>
5.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	<u>50</u>
6.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	<u>47</u>
7.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	<u>42</u>
8.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	<u>38</u>
9.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	<u>35</u>
10.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	<u>40</u>
11.	<u>श्रीमती सुभाष</u>	<u>राजश</u>	
12.			
13.			
14.			
15.			

III. सामान्य विवरण

6. 2011 की जनगणना के अनुसार 1574 वर्षमान पंचायत/अंतरावर्गी रिपोर्ट के अनुसार 1890

जनसंख्या	गाम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गामों के नाम	योग	वर्षमान पंचायत/अंतरावर्गी रिपोर्ट के अनुसार	योग
<u>1574</u>		<u>1574</u>		<u>1890</u>

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एच./कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकासी का निर्माण/वृद्धि आदि।
जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	वाटरशेड से संबंधित कार्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्स-फस से जल की निकासी को कम करने के लिए
क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.एफ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.)	अंतःग्राम अवसंरचना
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना
संधिधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना
दानदाता/प्रायोजक		

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

Ranjoo Singh
रन्जू सिंह (प्रधान)
ग्राम पंचायत नगला खानपुर
द्वारा शाहाबाद (हरदोई)

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो)

श्री मधु

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष *रन्जू सिंह*

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर : *सुशील कुमार 7905741632*

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर :

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. *भारती* Mob- 9651888600
2. *नूपजा* Mob- 8127689519
3. *प्रिया सिंह* Mob- 9198612820
4. *सुभान* Mob- 9651983649
5. *शोभा* Mob- 8127598805

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर :

1. *श्री भद्रपुत्रा सिंह* - Mob. ~~9651983649~~ 9696446773
2. *श्री भद्रपुत्रा सिंह* - Mob. 9651583649